

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

Email-govdentalcollege@gmail.com (GST-22JBPS02579D1D2)

क्रमांक / 2535 / जीडीसी / स्टेश. / 2023

रायपुर / दिनांक

2-05-23

दर आह्वान
Quotation Call

विषय:- स्टेशनरी / लेखन सामाग्री क्रय हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत किये जाने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय के उपयोग हेतु विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामाग्री क्रय किया जाना है उक्त कार्य हेतु कोटेशन (दर) आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामाग्री का नाम	प्रति नग राशि	जी. एस. टी.	कुल राशि	क्र.	सामाग्री का नाम	प्रति नग राशि	जी.एस. टी.	कुल राशि
01	डी. एफ. सी रजिस्टर 300, 400 पेज				09	सिंगल होल पंचीग मशीन			
02	आवक पंची 400 पेज				10	बाक्स फाईल			
03	जावक पंची 400 पेज				11	सेलो / ब्राउन टेप 2" इंच			
04	ऐड जेल पेन ग्रीन				12	कलर चॉक			
05	पारकर जेल रिफिल				13	बटन फाईल अच्छी क्वालिटी			
06	यलो लिफाफा (9x4 11x5 12x10 14x10 16x12)				14	क्लाथ लिफाफा 16x12			
07	कोबरा फाईल				15	ड्राईग पिन / नोटिस बोर्ड पिन			
08	पंचीग मशीन बड़ी				16	व्हाइट बोर्ड प्रति फीट में			


अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 15/05/2023 शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्त:-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए। (पेज 01 से 2)



2. कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करे।
3. किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
4. सामाग्रियों को महाविद्यालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम लिखना चाहिए।
7. प्रस्तुत किये गये कोटेशनद र एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
8. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी।
9. सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. कोटेशन प्रस्तुत करने वाले फर्म को सामाग्री जिसका दर प्रस्तुत किया गया है का एक सेट सैंपल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।


प्राचार्य 2/5/2023
शासकीय दंत चिकित्सा महा., रायपुर